

राजस्थान सरकार

नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक :— प.3(54)नविवि / 3 / 2011—पार्ट

जयपुर, दिनांक: 8 FEB 2013

1. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण
2. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
3. मुख्य नगर नियोजक, राजरथान, जयपुर।
4. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समरत राजरथान।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम (समरत), राजरथान।
6. सचिव, नगर विकास न्यास (समरत)

विषय :— प्रशासन शहरों के संग अभियन-2012 के दौरान आ रही कठिनाईयों के निराकरण के क्रम में मार्ग-दर्शन/शिथिलन बाबत

संदर्भ :— विभाग का समसंख्यक पत्र क्रमांक प.3(54)नविवि / 3 / 2011—पार्ट जयपुर दिनांक 11 दिसम्बर, 2012

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय संदर्भित पत्र के बिन्दु संख्या 2 में यह निर्देश दिये गये थे कि गृह निर्माण सहकारी समिति आदि की योजनाओं में मानचित्र में दर्शायें गये भूखण्ड की माप से मौके पर भूखण्ड का क्षेत्रफल बढ़ा हुआ पाया जावे तो भूखण्ड की माप से मौके पर 10 प्रतिशत तक बढ़े हुए क्षेत्रफल का नियमन सामान्य नियमन दर पर एवं 10 प्रतिशत से अधिक बढ़े हुए क्षेत्रफल को योजना की आरक्षित दर की 25 प्रतिशत राशि लेकर नियमन किया जावे।

अब यह निर्णय लिया गया है कि विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 11.12.2012 के बिन्दु संख्या 2 के प्रावधान निजी विकासकर्ता/खातेदार द्वारा विकसित की गयी योजनाओं के भूखण्डों पर भी लागू होंगे।

अतः निजी विकासकर्ता/खातेदारों द्वारा विकसित की गयी योजनाओं में मानचित्र में दर्शायें गये भूखण्ड की माप से मौके पर भूखण्ड का क्षेत्रफल बढ़ा हुआ पाया जावे तो भूखण्ड की माप से मौके पर 10 प्रतिशत तक बढ़े हुए क्षेत्रफल का नियमन सामान्य नियमन दर पर एवं 10 प्रतिशत से अधिक बढ़े हुए क्षेत्रफल को योजना की आरक्षित दर की 25 प्रतिशत राशि लेकर नियमन किया जावे।

आज्ञा से

८/२/२०१३  
(एन.एल.मीना)  
शासन उप सचिव—तृतीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को महत्वार्थ साहचार्य साक्षी प्रिया

- प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

  1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान जयपुर।
  2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, स्वा.शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
  3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, राजस्थान।
  4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वा.शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
  5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान जयपुर।
  6. समर्त सभागीय आयुक्त, राजस्थान।
  7. समर्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
  8. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
  9. महापौर / सभापति / अध्यक्ष, नगर निगम / नगर परिषद / पालिका.....।
  10. शासन उप सचिव प्रथम / द्वितीय / तृतीय / अन्य अधिकारीगण, नविवि।
  11. रक्षित पत्रावली।

क्रमांक २१२०९  
शासन उप सचिव-तृतीय